

25/2019 प्रवाप विदं / सपेन्द्र सिंह

दिनांक आज्ञा पत्र



9-9-19

प्रवावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज... (दिनांक 9-10-19) पर है। अतः प्रवावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 9-10-19 को पेश हो।

9/10/19

प्रवावली प्रस्तुत अभिभाक्क सच ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। प्रवावली पूर्व आज्ञा दिनांक 13-11-19 को पेश हो।

13-11-19

प्रवावली प्रस्तुत अभिभाक्क सच ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। प्रवावली पूर्व आज्ञा दिनांक 11-12-19 को पेश हो।

11-12-19

वक्तुल लिफ्ट करी केन 350 / रेसपो सं 203 के नोटिस पुरा पेश करे / पेश करने पर जारी हो। तहत कारेकाड तालव हो प्रवावली दिनांक 8-1-20 को पेश हो।

8-1-20

प्रवावली पेश वकील अपील/रेसपो को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील/रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेसपोडेंटस अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेसपोडेंटस आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। प्रवावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (केम्प बुन्दुर्ग)

